Source:- www.patrika.com
Date:- 07.05.2019

तीस करोड़ की कर चोरी के मामले में एक गिरफ्तार

अहमदाबाद. राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने हरियाणा की तीन आयातकर्ता कम्पनियों पर दबिश देकर तीस करोड़ की आयात कर चोरी उजागर की है। डीआरआई ने कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया। बाद में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

डीआरआई अधिकारियों को जानकारी मिली थी कि हरियाणा मूल की तीन आयातकर्ता कम्पनियों, जिसका मालिक एक ही व्यक्ति है। वह तांबे के तार, छड़, पीवीसी रेक्जिन और प्लास्टीसाइजर, फीलर्स इत्यादि विदेश से मंगाता है और उसे निर्यात नियमों की पालना किए बगैर ही स्थानीय बाजार में भेजता है। इसके बाद डीआरआई अधिकारियों ने इन तीनों ही आयात कम्पनियों के कार्यालय और फैक्ट्री परिसर में दबिश दी। जांच के दौरान सामने आया कि फैक्ट्री परिसर में कस्टम ड्यूटी फ्री का कोई भी माल उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा यह भी सामने आया कि इन कम्पनियों ने मंगाया गया ड्यूटी फ्री कुछ माल बेच दिया। वहीं कुछ माल उत्पादन के लिए अपनी फैक्ट्री में उपयोग कर लिया और बाद में निर्यात नियमों का पालन किए बगैर ही तैयार माल स्थानीय बाजार में बेच दिया।

डीआरआई अधिकारियों ने इन कम्पनियों के मालिक का बयान भी लिया, जिसमें उसने कबूल किया कि आयात ड्यूटी मुक्त माल बगैर निर्यात नियमों का पालन किए स्थानीय बाजार में बेच दिया। बाद में डीआरआई अधिकारियों ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फैक्ट्री से जब्त माल करीब 250 करोड़ रुपए का है, जिसमें 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की कर चोरी उजागर हुई है।